नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–06, नौएडा

पत्र संख्या: नौएडा/मु0या0नि0/2022/ 2980
दिनांक: 18 · 8 · 2022

सेवा में,

Deputy Commissiner of Police,
Head Quater, Noida,
Gautam Budh Nagar

विषय:– प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नोएडा क्षेत्र में स्थापित हाई राइज ग्रुप हाऊसिंग परियोजनाओं में एस0टी0पी0 कियाशील है अथवा नही, के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जलखण्ड के अवर अभियंता एवं प्रबन्धक द्वारा ग्रुप हाउसिंग परियोजना जीएच–3, सैक्टर–137 में स्थित एस0टी0पी0 के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस परियोजना में एस0टी0पी0 कियाशील है परन्तु शोधित जल की गुणवत्ता एन0जी0टी0 के मानको के अनुरुप नही है, जो कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तो का उल्लंघन है ।

यह भी अवगत कराना है कि माननीय एन0जी0टी0 में ग्रुप हाऊसिंग परियोजनाओं में एस0टी0पी0 के निर्माण/क्रियाशीलता के सम्बन्ध में ओ0ए0 संख्या–1002/2018 अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 व अन्य विचाराधीन है ।

उक्त परियोजना में शोधित जल की गुणवत्ता एन0जी0टी0 के मानको के अनुरुप नही किये जाने के कारण मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा द्वारा दिनांक 26.07.2022 को उक्त परियोजना के आवंटी संस्था के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने हेतु निर्देशित किया गया है । परियोजना का विवरण निम्नानुसार है:–

क0 सं0	आवंटी संस्था का नाम	भूखण्ड सं0/ सेक्टर	डायरेक्टर का नाम	डायरेक्टर पता
1	मै0 सुपरटेक लि0	जी0एच0–03/ सेक्टर–137, नोएडा	1. श्री आर0के0 अरोडा	B-28 & 29, F-Block, Sector-58, Noida

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त परियोजना में शोधित जल की गुणवत्ता एन0जी0टी0 के मानको के अनुरुप नही किये जाने के आरोप में संदर्भित आवंटी संस्था के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने का कष्ट करें।

/

(एच0यू0 फारुख)
सहा0 प्रबन्धक (नियोजन)
नौएडा

प्रतिलिपि:–

1. C.P., गौतमबुद्व नगर को इस आशय के साथ कि प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी0) महोदय को सूचनार्थ।
4. Add. C.P., गौतमबुद्व नगर को इस आशय के साथ कि प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कराने का कष्ट करें ।
5. एस0एच0ओ0, थाना– 142, नौएडा को कि प्रथम प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें ।
6. महाप्रबन्धक (नियोजन) को सूचनार्थ।
7. उपमहाप्रबन्धक (जल) को सूचनार्थ।

सहा0 प्रबन्धक (नियोजन)
नौएडा

12:01